

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
समाहर्ता या समुचित सरकार
-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 6.1.6/भू अ०

दिनांक : 04/7/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-राजारायडीह, थाना-सारठ, थाना सं०-261, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)-छतरा-बगडबरा-कोल्हड़िया-सोनारायडीह (एम०डी०आर०-224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-राजारायडीह, थाना-सारठ, थाना सं०-261, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.48 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	228	रैयती	वाड़ी-2	0.005	नागेश्वर मंडल वो जीतन मंडल पे०-भिखो मंडल वो दुखन मंडल वो सुखन मंडल पे०-रोहन मंडल	हरिपुर नं०-260 एवं फुलडुवा नं०-262	बेलबरना नं०-234	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा का अंश
2	3	222	रैयती	वाड़ी-2	0.02	विदेशी मंडल पे०-भुको मंडल सा० देह				
3	5	221	रैयती	वाड़ी-1	0.01	सुन्दर मंडल पे०-दरबारी मंडल कौम-तेली (ज०रै०) प्रधान का जोत				
4	5	192	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
5	5	220	रैयती	वाड़ी-1	0.01	पुरन मंडल पे०-तीलो मंडल (प्रधान का जोत) कौम तेली सा० देह (ज० रै०)				
6	5	191	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
7	6	223	रैयती	वाड़ी-2	0.03	सनातन मंडल वो नरेश मंडल वो गिरीश मंडल पे०-विदेशी मंडल वो सुरेश मंडल पे०-चिन्ता मंडल वो भरत मंडल पे०-लुधन मंडल सा० देह।				
8	6	170	रैयती	वाड़ी-2	0.02	तथैव।				
9	6	230	रैयती	वाड़ी-2	0.01	पार्वती देवी पे०-प्रसादी मंडल वो बुधन मंडल पे०-गणेश राम मंडल वो रवनी मंडलाईन जौजे रामन मंडल (जा० रै०) सा० देह।				
10	6	182	रैयती	धानी-3	0.005	रवनी मंडलाईन जौजे रामन मंडल (जा० रै०) कौम तेली सा० देह।				
11	6	181	रैयती	धानी-3	0.005	पार्वती देवी पे०-प्रसादी मंडल वो बुधन मंडल पे०-गणेश राम मंडल कौम तेली सा० देह। (प्रधान का जोत)				
12	6	174	रैयती	धानी-3	0.02	दुखन मंडल पे०-सुन्दर मंडल कौम-तेली सा०				

						देह (प्रधान का जोत)			
13	6	161	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव।			
14	6	172	रैयती	धानी-3	0.02	हराधन मंडल पे०-नुनेश्वर मंडल वो मदन मंडल पे०-भोला मंडल वो सङ्गीया मंडलाईन जौजे तितु मंडल (जा० रै०) कौम-तेली सा० देह			
15	6	169	रैयती	बाड़ी-2	0.02	हराधन मंडल पे०-नुनेश्वर मंडल वो मदन मंडल पे०-भोला मंडल सा० देह			
16	6	243	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव।			
17	6	168	रैयती	बाड़ी-2	0.03	सङ्गीया मंडलाईन जौजे तितु मंडल (जा० रै०) कौम-तेली सा० देह			
18	6	241	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।			
19	6	167	रैयती	बाड़ी-2	0.03	कुशमी देव्या पति-जगदीश मंडल वो विषहरी मंडल पे० सुबल मंडल वो पागल मंडल वो बादल मंडल पे०-हरि मंडल वो दुखन मंडल पे०-सुन्दर मंडल सा० देह (प्रधान का जोत)			
20	6	160	रैयती	बाड़ी-2	0.005	कुशमी देव्या पति-जगदीश मंडल वो विषहरी मंडल पे०-सुबल मंडल वो पागल मंडल वो बादल मंडल पे०-हरि मंडल वो दुखन मंडल पे०-सुन्दर मंडल वो पार्वती देवी पे०-प्रसादी मंडल वो बुधन मंडल पे०-गणेश राम मंडल वो रवनी मंडलाईन जौजे सरवन मंडल (जा० रै०) कौम-तेली सा० देह।			
21	9	177	रैयती	बाड़ी-2	0.01	सहदेव मंडल पे०-मनभरन मंडल वो साधु मंडल वो राजेश मंडल वो अनंत मंडल वो अनिल मंडल पे०-गुनाधर मंडल वो दर्शनी मंडल वो रतन मंडल वो बिजु मंडल पे०-छकोड़ी मंडल वो तिनकोड़ी मंडल पे०-महरू मंडल वो बेजु मंडल पे०-बुन्दो मंडल वो बलराम मंडल पे०-सरजू मंडल वो सुनिल मंडल पे०-भागवत मंडल वो टहलू मंडल पे०-लाल गोविन्द मंडल सा० देह।			
22	9	176	रैयती	धानी-3	0.005	तथैव।			
23	10	233	रैयती	बाँध	0.06	पुरन मंडल वो दरवारी मंडल पे० नीलू मंडल (जा० रै०) वो (पार्वती देवी पे०-प्रसादी मंडल) वो बुधन मंडल पे०-गणेश मंडल वो मु० रवनी मंडलाईन जौजे जशमत मंडल वो वासुदेव मंडल वो सुतोष मंडल पे०-गोवर्धन मंडल वो ठाकुर मंडल वो तिवारी मंडल वो जीवलाल मंडल वो सुगदेव मंडल पे०-झकसु मंडल वो राजन मंडल पे०-तेजु मंडल वो परमेश्वर मंडल पे०-कीशुन मंडल वो निलमणी देवी पे०-लोचन मंडल वो हरधान मंडल पे०-नुनेश्वर मंडल वो मदन मंडल पे०-भोला मंडल वो विदेशी मंडल पे०-मुको मंडल वो सनातन मंडल वो गणेश मंडल वो गिरीश मंडल पे०-विदेशी मंडल वो सुरेश मंडल पे०-चिन्ता मंडल वो भरत मंडल पे०-लुधन मंडल वो झवन मंडल वल्द भवानी			

					मंडल वो लीलु मंडल वल्द देवीनी मंडल वो अमृत मंडल वो रतन मंडल वो फागु मंडल पे०-दशरथ मंडल वो राजकिशोर मंडल वो विकाश मंडल वो नुनलाल मंडल वो तिलो मंडल पे०-सनु मंडल वो जयराम मंडल वो बालेश्वर मंडल वो पागल मंडल वो मनसा मंडल पे०-अमिन मंडल वो अर्जुन मंडल वो सुधीर मंडल पे०-सीताराम मंडल वो नागेश्वर मंडल वो जीतन मंडल पे०-भिखो मंडल वो दुखन मंडल वो सुखन मंडल पे०-रोहन मंडल वो रधु मंडल वल्द शाहेन मंडल (जा० रै०) सा० देह।				
24	229			0.005	मुस्तवाहा				
25	232			0.01	मुस्तवाहा				
कुल रकवा-				0.48					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
01/6
11/06/20

अपर समाहर्ता
दे

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 616 / भू अ०, देवघर, दिनांक 04/7/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।


जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
11/06/20


अपर समाहर्ता
देवघर


समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।